दिनांक–20.08.2013 को जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में निलम्बित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निलम्बित से मुक्त करने हेतु सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– निलम्बित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निलम्बन से मुक्त करने हेतु आहूत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
3. जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, खड़गपुर।
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर।

सर्व प्रथम उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी यथा अनुमण्डल पदाधिकारी खड़गपुर द्वारा CWJC N0.21889/2011एवं CWJC N0.9818/2012 में पारित आदेश के आलोक में प्राप्त अभिलेख/अनुशंसा पर विचार किया गया। तत्पश्चात रद्द जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को रद्द से मुक्त करने संबंधी कुल–2 (दो) मामलों के प्राप्त अभिलेख पर विचार करते हुए सर्व सम्पत्ति से निम्न प्रस्ताव पारित किया गया।

(1) सरकार के सचिव, खाद्य एवं उभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–601 दिनांक–15.02.2007 द्वारा प्रचालित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–5738 दिनांक–23.06.2011 द्वारा प्रचालित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 में वर्णित दिशा–निर्देशों तथा विभागीय पत्रांक–387 दिनांक–12.01.2012 के आलोक में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा निम्न निर्णय लिया गया।

क्र0	रद्द ज0वि0प्र0 विक्रेता का नाम/पता/अनुज्ञप्ति संख्या	रद्द की तिथि	रद्द का कारण	अनुज्ञापन पदा0 के पत्रांक/दिनांक जिसके द्वारा अनुशंसा प्राप्त हैं।	संबंधित अनुमण्डल का नाम	समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
1	श्री शैलेन्द्र सिंह, सा0–पहाड़पुर, खड़गपुर, मुंगेर अनुज्ञप्ति संख्या–26/07	20.09.2011	अधिक मूल्य पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्त्ति करने के कारण प्राथमिकी दर्ज होने के कारण	145/आ0/ 13.07.2013	खड़गपुर	जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय,पटना के CWJC N0.-21889/2011 में पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।	

क्र0	रद्द ज0वि0प्र0 विक्रेता कानाम / पता / अनुज्ञप्ति संख्या	रद्द की तिथि	रद्द का कारण	अनुज्ञापन पदा0 के पत्रांक / दिनांक जिसके द्वारा अनुशंसा प्राप्त हैं।	संबंधित अनुमण्डल का नाम	समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
2	श्री विनय कुमार सिंह, सा0–धौरी, टेटियाबम्बर, अनुज्ञप्ति संख्या–83 / 07	30.08.2010	अनुज्ञापन पदा0 के आदेश का उल्लंघन एवं दो माह में मात्र ढ़ाई लीटर तेल देने के कारण	146 / आ0 / 13.07.2013	खड़गपुर	जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय,पटना के CWJC N0.-9818/2012 में पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।	

अतः में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।

ज्ञापांक 672 / जि0आ0, दिनांक 31.08.2013

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी (मुंगेर जिला) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।

ज्ञापांक 672 / जि0आ0, दिनांक 31.08.2013

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC), मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय चयन समिति,
मुंगेर।